न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी घनश्याम योगी **बनाम** नगर परिषद सवाईमाधोपुर जरिये आयुक्त नगर परिषद

किस्म प्रकरण— अपील प्रकरण संख्या 104/2019 (RCMS NO 2019/00151)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
11.3.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील उपभय पक्ष उपस्थित। तलवी मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस स्वंय अपीलान्ट जो कि अधिवक्ता है के द्वारा कथन किया कि आदेश जैर अपील आदेश कमांक/न.प.स.मा./वि.शा./2019—20/7022 दिनांक 25.9.2019 विधि विरूद्व एवं खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि आयुक्त महोदय द्वारा नगरपालिका अधिनियम,1959 के नियमों को समझने मे अहम भूल की है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.12.2016 को कयशुद्वा भूमि के तामीर निर्माण स्वीकृति हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो राजस्व रिकार्ड में ख0न0 2144 गैर मु. आबादी कस्बा आलनुपर में स्थित है एवं यह भूमि पूर्व से ही निर्मित थी जो जीर्ण—शीर्ण अवस्था मे होने से पुनः निर्माण की स्वीकृति चाही गयी थी जिसके लिए नगर परिषद सवाईमाधोपुर ने अपीलान्ट से 1500/—रू जमा कर आपत्ति नोटिस जारी किये एवं विधि सलाहकार की राय ली गयी जिसमे विधि सलाहकार द्वारा अंकित किया कि अन रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 14.10.2016 के आधार पर निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकती है अथवा नही यह नगर परिषद सवाईमाधोपुर विभागीय निर्देशो के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय लेकर स्वंय तय करे। इसी दौरान रफीक मोहम्मद की आपत्ति प्राप्त हुई थी जिसको बाद सुनायी दिनांक 7.6.2017 को खारिज करते हुए तामीर स्वीकृति हेतु निर्देश दिया गया कि तामीर स्वीकृति चाही गयी भूमि का पटटा नही होने से प्रकरण को लंबित करने के आशय से बिना विधिक राय एवं बिना विधिक प्रावधानों के स्वेच्छा से नियमों की अवहेलना करते हुए 2000/—रू जमा करवाये, जबकि तामीर स्वीकृति चाही गयी भूमि नगर परिषद के प्रभाव में आने से पूर्व ग्राम पंचायत क्षेत्र मे आबादी में स्थित थी एवं पूर्व से ही पुख्ता निर्माण शुद्वा थी जिसका सन् 1939 में पंजीकृत पत्र से पटटा जारी किया हुआ है। दिनांक 7.8.2018 को विधि सलाहकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी राय दी गयी थी कि नगर परिषद अपीलार्थी को तामीर स्वीकृति देने मे सक्षम है परन्तु दिनांक 25.9.2019 को अपीलार्थी का आवेदन बिना किसी आधार के यह अंकित करते हुए निरस्त कर दिया कि पत्रावली में किसी प्रकार का पटटा नही है। अतः निर्माण स्वीकृति नही दी जा सकती है जबकि प्रारम्भिक स्थिति दिनांक 14.10.2016 में विक्रय नामा का स्पष्ट वर्णन किया हुआ है बावजूद उसी स्थिति के आधार पर तीन वर्ष तक पत्रावली को लंबित रखा एवं विभिन्न विभागों की राय एवं स्पष्ट दिशा निर्देशो के बाद भी जानबूझकर विधि के विपरीत तामीर स्वीकृति आवेदन निरस्त किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया। वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस भूखण्ड का नियमन एवं तामीर स्वीकृति चाही गयी है उक्त भूखण्ड के स्वामित्व से संबधित कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है,तथा उक्त भूखण्ड को लेकर श्री रफीक अहमद द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जो नगर परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा निरस्त कर दिये जाने पर आपत्तिकर्ता श्री रफीक अहमद पुत्र श्री नूर मोहम्मद मुसलमान द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे वाद पेश किया है जो वर्तमान में जैरकार है। उक्त भूखण्ड को लेकर न्यायालय मे वाद विचाराधीन होने एवं अपीलान्ट के पास स्वामित्व संबधी दस्तावेज नही होने के कारण निर्माण स्वीकृति नही दी गयी है। वकील उभय पक्षों को सुनने एवं नगर परिषद की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम तो अपीलान्ट के पास जिस भूखण्ड की निर्माण स्वीकृति चाही जा रही है उसके स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज यथा पटटा इत्यादि नगर परिषद मे प्रस्तुत नही किया ओर ना ही इस न्यायालय मे पेश किया है इसके अतिरिक्त उक्त भूखण्ड के संबंध मे आपत्तिकर्ता श्री रफीक अहमद द्वारा सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में जैरकार न्यायालय है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (डॉ0एस0पी0सिंह) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.30 18:11:07 IST
Reason: SelfAttested